सेवा मतदाताओं के लिए पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया

जानकारी सहायता पुस्तिका

सेवा मतदाता कौन है

1

भारत
की सशस्त्र
सेनाओं में सेवारत

2

सेना
अधिनियम 1950
के अन्तर्गत बल (असम
राइफल्स, सीआरपीएफए
बीएसएफ, आईटीबीएफ, सीमा
सड़क संगठन में ग्रेफ कार्मिक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा
बल आदि)

3

जो
भारत सरकार
के अधीन नियुक्त
किए गए हों किंतु
उनकी तैनाती भारत
से बाहर हो

4

राज्य
के सशस्त्र पुलिस
बल के सदस्य जो उस
राज्य से बाहर तैनात हों

*यदि सेवा मतदाता की पत्नी, साधारण रूप से उसके साथ निवास करती है तो वह भी सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है

* विधि के अधीन महिला सेवा मतदाता के पति को यह सुविधा उपलब्ध न नहीं है

मतदाता नामावली में पंजीकरण

सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाएं

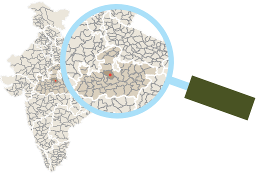

अपने निवास के जिले/राज्य में अपने चुनाव क्षेत्र का नाम ढूंढें

निम्ननलिखित फॉर्म की दो प्रतियां भरें:

- सशस्त्र सेनाओं के लिए **फॉर्म 2**
- सशस्त्र पुलिस बल के लिए **फॉर्म 2**
- विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारियों के लिए **फॉर्म 3**

घोषणापत्र भरें और इसे रिकॉर्ड कार्यालय या नोडल अधिकारी के पास जमा कराएं

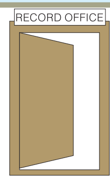

सेवा मतदाता की पत्नी को उसके पति द्वारा फार्म में दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत किया जाएगा और पत्नी को अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है

या सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं

यदि आप **"पीस (Peace) स्टेशन"** पर तैनात है तो आप वहां सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं।

यानी आप चाहे तो अपने स्थायी निवास स्थान पर सेवा मतदाता बने रह सकते हैं या तैनात स्थान पर सामान्य मतदाता बन सकते हैं।

परंतु, याद रखें कि यदि आप पहले से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो सामान्यत मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पहले सेवा मतदाता के रूप में अपना नाम हटवाएं। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

अपना बहुमूल्य मत डालें : मतपत्र को कैसे भरें

सेवा मतदाता

जब आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होंगे, रिटर्निंग अधिकारी (RO) आपको पोस्टल बैलट (postal ballot) भेजेंगे। पोस्टल बैलट के साथ दो लिफाफे, एक घोषणापत्र, वोट विधि के निर्देश भी भेजे जायेंगे।

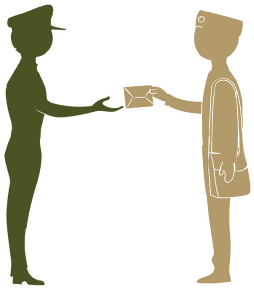

पोस्टल बैलट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने स्पष्ट निशान X या ✓ लगाएं। यदि वह निशान आपके विकल्प को स्पष्ट न करे तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा।

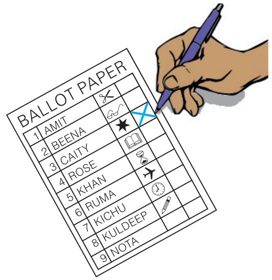

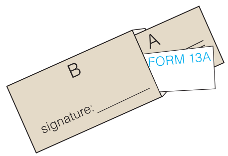

घोषणापत्र और बैलट वाले "A" चिह्नित छोटे लिफाफे को "B" चिह्नित बड़े लिफाफे में डालें जिस पर RO का पता पहले से लिखा होगा।

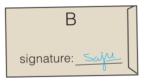

"B" लिफाफे पर अपने पूरे हस्ताक्षर करें। अगर छोटे लिफाफे (फार्म 13B) पर दिए गए कॉलम में RO ने बैलट पर दी गयी क्रम संख्या नहीं लिखी है, तो बैलट से देखकर ये संख्या लिखें।

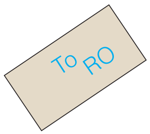

बड़ा लिफाफा बंद करने के पश्चात इसे डाक या Messenger से RO को भेजें।

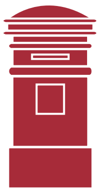

पोस्टल बैलट पर किसी प्रकार का डाक शुल्क नहीं है। ध्यान रखें पोस्टल बैलट वोटों की गिनती के प्रारंभ से पहले RO तक पहुंच जाये। वोटों की गिनती की तारीख अनुदेश पत्र में दी जाएगी।

पोस्टल बैलट पर अन्य कोई निशान, कोई शब्द या हस्ताक्षर न करें।

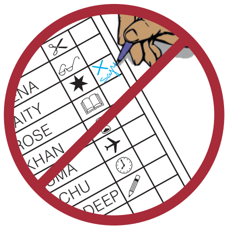

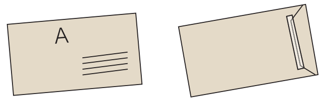

अपना वोट दर्ज करने के बाद, पोस्टल बैलट "A" चिह्न वाले छोटे लिफाफे में डालें; लिफाफा बंद करें और सील करें।

नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में **फार्म 13A** में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें। याद रखें पोस्टल बैलट की संख्या नम्बर घोषणा पत्र में निर्धारित जगह पर भरें।

अधिकारी आपके हस्ताक्षर का सत्यापन (attest) करेंगे और घोषणापत्र आपको वापस देंगे; अपना पोस्टल बैलट अधिकारी को न दिखाएं और न ही उन्हें बताएं कि आपने किसे वोट किया है।

आपका वोट अमान्य माना जाएगा यदि:

- ✓ यदि आप एक से अधिक उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं
- ✓ यदि आप दो नामों के मध्य में निशान लगा देते हैं जो आपकी पसंद को स्पष्ट नहीं करता।
- ✓ यदि पोस्टल बैलट पर आप अपने हस्ताक्षर कर देते हैं या कोई शब्द या निशान बना देते हैं।
- ✓ यदि लिफाफा सील/चिपकाया नहीं गया है।
- ✓ अगर बड़ा लिफाफा खोलने पर घोषणा पत्र **फार्म 13A** नहीं पाया जाये।
- ✓ यदि **फार्म 13A** में घोषणापत्र पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं या सक्षम अधिकारी ने सत्यापन (attest) नहीं किया है।

वर्गीकृत सेवा मतदाता

अगर आप सेवा मतदाता है और सशस्त्र सेना या सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत बल में है तो आप वर्गीकृत सेवा मतदाता के रूप में अपने प्रतिनिधि (PROXY) के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं अर्थात् आप अपने स्थान पर किसी और को वोट करने के लिए चुन सकते हैं।

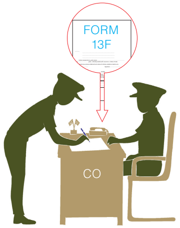

फार्म 13F भरें अपने सीओ (CO) से सत्यापन (attest) करवाएं और इसे अपने प्रतिनिधि को भेजें प्रतिनिधि को **फार्म 13F** पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करने होंगे।

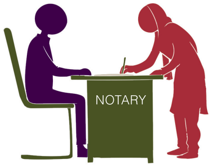

आपका प्रतिनिधि (PROXY) रिटर्निंग अधिकारी (RO) को फार्म जमा करा सकता है।

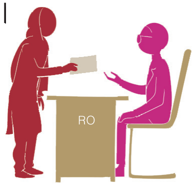

यदि आप अपने गृह स्थान (छुट्टी पर) पर हैं तो आप और प्रतिनिधि (PROXY) दोनों नोटरी/प्रथम कक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष **फार्म 13F** पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसे RO को भेज सकते हैं।

ध्यान रखें राजनैतिक उम्मीदवार द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख से पहले RO को **फार्म 13F** का आवेदन मिल जाना चाहिए (यानि चुनाव से लगभग 16 दिन पहले)।

आपका प्रतिनिधि (PROXY) उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो, चाहे वह मतदाता के रूप में पंजीकृत न भी हो परंतु मतदाता बनने के लिए अयोग्य (disqualified) नहीं होना चाहिए।

आपका प्रतिनिधि (PROXY) आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर वोट करेगा।

प्रतिनिधि (PROXY) को बदला जा सकता है; आप RO को **फार्म 13G** में फिर से पोस्टल बैलट का आवेदन दे सकते हैं।

याद रखें एक बार नियुक्त हो जाने पर आपका प्रतिनिधि (PROXY) जब तक बना रहेगा जब तक उसकी नियुक्ति आप रद्द नहीं कर देते।

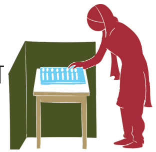

सामान्य मतदाता

आप अपनी तैनाती के स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर खुद वोट कर सकते हैं

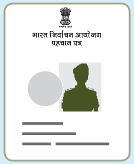

ध्यान रखें

जबकि सेवा मतदाता की पत्नी, सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है, पति/पुत्र/पुत्री को सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

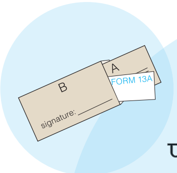

छोटे लिफाफे में केवल पोस्टल बैलट ही रखा जाना है, इस में घोषणा पत्र 13A न डालें; छोटे लिफाफे सहित घोषणा पत्र को बड़े लिफाफे के अन्दर रखा जाना चाहिए।

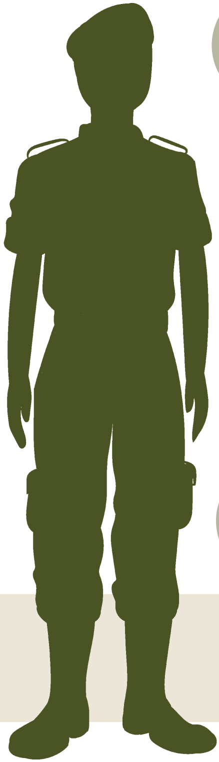

आप नियुक्ति के स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में भी पंजीकृत हो सकते हैं यदि वह स्थान पीस (**Peace**) स्टेशन है, किन्तु याद रखें कि

किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकता – जब आप सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण कराते हैं तो आपको घोषणा पत्र जमा करना होगा कि आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

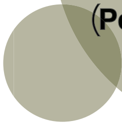

अतः आज ही पंजीकरण कराएं

ताकि आप अगले चुनावों में मतदान कर सकें!

1950 में स्थापित, भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति के पदों संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है, निर्वाचक नामावली बनाता एवं समय–समय पर उसका अध्ययन करता है, और प्रत्याशियों के नामांकन एवं चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। इसके साथ–साथ स्वीप कार्यक्रम के जरिये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की जागरूक और सक्रिय चुनाव सहभागिता भी सुनिश्चित करता है।

भारत का संविधान लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक स्थिति और अवस्थिति के भेदभाव के बिना प्रत्येक योग्य नागरिक को वोट का अधिकार देता है और हर एक वोट बराबर मायने रखता है। अतः, सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और मताधिकार का प्रयोग करके अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करें।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को शिक्षित करने के साथ–साथ इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाता है। स्वीप निम्नलिखित तीन नीतियों पर आधारित है:

सूचना: पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में "क्या" "कब" "कहां" और "कैसे" के बारे में सूचना देना।

प्रेरणा: लोगों में प्रेरणा की कमी को दूर करना और "क्यों" संबंधी जिज्ञासा का जवाब देना।

सुविधा: निर्वाचक सहभागिता को सरल, सुविधाजनक और अनुकूल बनाना।

संपर्क करें:

आप www.eci.nic.in पर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं व अन्य सूचनाएं और अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल www.nvsp.in पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा अतिरिक्त कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। आप www.ecisveep.nic.in पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और विशिष्ट पुरस्कार जीत सकते हैं।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001
दूरभाष: 011-23717391-98 Ext. 283, 314, 436